न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व वाद संख्या 48/2011

श्री बाबू बेग पुत्र स्व0 श्री करीमा जी बेग जाति मुगल निवासी ग्राम हरराजपुरा तहसील मसूदा जिला–अजमेर राज0

––––––––वादी

ब ना म

राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय, मसूदा तहसील–मसूदा, जिला–अजमेर

––––––प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 6.4.2018

वादी ने अपने वादपत्र में सारांशतः कथन किए हैं कि मौजा हरराजपुरा पटवार क्षेत्र हरराजपुरा तहसील मसूदा जिला–अजमेर में स्थित भूमि खसरा नंबर 799/1 रकबा 03–00–00 एंव 799 रकबा 03–00–00 भूमियां स्थित है, उक्त खसरा नंबर 799/1 में वर्णित भूमि वादी की पुश्तैनी भूमिया है, जिस पर वादी एंव उसके भाई मुंशी का भाई बंटवारे के आधार पर सदियो से पूर्वजो के समय से शांतिपूर्ण तरीके से कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त खसरा नंबर 799 जो कि वादी की खातेदारी की भूमियो के लगते हुये सिवायचक खाते में दर्ज भूमियां है, इस प्रकार वादी ने वादग्रस्त भूमियो के चारो तरफ उंची उंची पांच पांच फीट की चार दीवारी कर रखी है, जिससे पूर्व में कभी भी किसी भी प्रकार कोई विवाद नही रहा है। वादी ने उक्त वर्णित वादग्रस्त भूमियो पर काफी मेहनत एंव काफी धन खर्च करके भूमियो को वर्तमान रूप दिया तथा भूमियो को सुधार करने के पश्चात कभी किसी का विवाद नही रहा। वादी की कब्जेशुदा भूमियो को हडपने की नियत से मस्तान पुत्र पीरू मेहरात एंव अन्य व्यक्तियो ने मिलकर अपनी दादागिरी के वशीभूत हाकम पुत्र बादर मेहरात की लाश को दफना दिया जिस पर वादी ने प्रतिवादी तहसीलदार मसूदा को इस बाबत शिकायत प्रार्थना पत्र दिये जिस पर दिनांक 27.7.2010 को पटवारी महोदय ने भी उक्त कृत्य को शांति व्यवस्था भंग करने वाला बताकर कार्यवाही करने बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत की इसके अतिरिक्त खसरा गिरदावरीयो से भी प्रमाणित है कि वर्णित भूमियां वादी की है, किन्तु कुछ व्यक्तियो की शिकायत के आधार पर वादी को वादग्रस्त भूमियो से बेदखल करने पर आमादा होने के कारण वादी को वाद प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय की शरण में आना पडा है। वादी अपने पिता की जीवनकाल से पिछले कई वर्षो से वादग्रस्त भूमियो पर लगातार शांतिपूर्ण तरीके से काबिज चले आ रहे है। वादी ने ही वर्णित भूमियो में बुवाई की इसके बाजवूद दिनांक 26.7.2010 को भूमियो पर अतिक्रमण करने की बदनियती से लाश दफना दी एंव उल्टी धमकिया प्रदान की, कि जो कर सकते हो कर लो के कारण एंव वर्णित भूमियो का वादी को खातेदारी अधिकार नही दिये जाने के कारण वादी को वाद प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय की शरण में आना पडा है अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है, कि वादी को वादग्रस्त भूमियो का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद किया जावे कि वादी को विवादित भूमियो से बेदखल नही करे तथा उसके कब्जे उपयोग उपभोग में बाधा उपस्थित नही करे खर्चा वाद दिलाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी ने वाद के वाद का नकारते हुये जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है, कि विवादित भूमियां सिवायचक खाते में दर्ज चली आ रही है, तथा वादी का विवादित भूमियो को कोई कब्जा काश्त नही है, तथा समय समय पर वादी को बेदखल किया जाता रहा है, तथा विवादित भूमियां संवत 2041 से सिवायचक खाते में दर्ज चली आ रही है। तथा सरकार को धारा 80 जाब्ता दीवानी का दो माह का नोटिस नही दिया है। तथा उक्त विवादित भूमियां की किस्म गै0मु0पहाड है, तथा वादी का वाद खारीज किया जावे।

(सुरेश चावला)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
मसूदा (अजमेर) राज0

प्रकरण में दावे व जवाबदावे के अनुसार अनुतोष सहित 4 तनकियात कायम की गई। प्रकरण में साक्ष्य वादी तलब की गई साक्ष्य वादी में बाबू बेग पुत्र श्री करीमा जाति मुगल निवासी ग्राम हरराजपुरा का शपथ पत्र पेश किया जिसमें अपने वाद पत्र के कथनो को दोहराया । तथा गवाह नाथू पुत्र घीसा जी जाति मेहरात निवासी ग्राम हरराजपुरा, रामसिंह

......................लगातार

पुत्र नारायणसिंह जाति मेहरात निवासी ग्राम हरराजपुरा, खाजू पुत्र मांगू मेहरात निवासी ग्राम हरराजपुरा एंव मुंशी बेग पुत्र करीमा जाति मुगल निवासी हरराजपुरा के शपथ पत्र प्रस्तुत हुये उन्होने भी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के कथनो को दोहराते हुये वादी का विवादित भूमियो पर कब्जा होने का कथन किया है।

प्रकरण में साक्ष्य प्रतिवादी ने पैरोकार सरकार ने कथन किया है, कि जवाबदावा को ही साक्ष्य के रूप में पढा जावे।

प्रकरण में बहस अंतिम सुनी गई जिसमें वादी अधिवक्ता ने अपने वाद पत्र व दस्तावेजो को कथन करते हुये वादी का वाद स्वीकार करने का निवेदन किया तथा प्रतिवादी ने अपने जवाबदावे के तथ्यो को दोहराते हुये वाद पत्र खारीज किये जाने का कथन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यो के आधार पर वाद पत्र में कायम तनकियात निम्न प्रकार तय की जाती है।

1— आया वादी वादग्रस्त भूमि मौजा हरराजपुरा के खसरा नंबर 799 (799/2) रकबा 6 बीघा किस्म गै0मु0प0 सिवायचक भूमि पर संवंत 2062 से कब्जा काश्त के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है?
----वादी

2— आया वादी वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का दखल न करने हेतू प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति का अधिकारी है?
----वादी

3— आया प्रतिवादी अपने प्रतिवाद पत्र में दर्शित कारणो के आधार पर वाद खारीज कराने का अधिकारी है?
---प्रतिवादी

4— अनुतोष?

उपरोक्त **तनकी नंबर 1, 2** एक दूसरे से पूरक होने के कारण एक साथ निर्णित की जाती है, वादी ने अपने वाद में विवादित भूमियो अपने पिता से कब्जा काश्त उपयोग उपभोग होने का कथन करते हुये खातेदारी की घोषणा चाही है, जिसके विषय में वादी ने अपने कब्जे संबंधीत दस्तावेज जमाबदी संवत 2065 से 2068 के अनुसार खसरा नंबर 799/1 रकबा 3 बीघा वादी के नाम खातेदारी में दर्ज होना पाया गया। मौका पर्चा दिनांक 27.7.2010 के अनुसार हल्का पटवारी द्वारा विवादित खसरा नंबर 799 में वादी का बतौर अतिक्रमी कब्जा होना अंकित किया है। मौका पर्चा सीमाज्ञान बाबत पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 19.4.2010 के अनुसार सीमाज्ञान विवादित भूमि का किया जाना पाया गया। खसरा गिरदावरी संवत 2062 के अनुसार विवादित खसरा नंबर 799 रकबा 3 बीघा पर ज्वार की फसल वादी द्वारा बोया जाना पाया गया तथा बतौर अतिक्रमण के दर्ज होना पाया गया। खसरा गिरदावरी संवत 2064 के अनुसार विवादित खसरा नंबर 799 रकबा 2 बीघा पर कुलथ व ज्वार की फसल वादी द्वारा बोया जाना पाया गया तथा बतौर अतिक्रमण के दर्ज होना पाया गया। खसरा गिरदावरी संवत 2065 के अनुसार विवादित खसरा नंबर 799 रकबा 2 बीघा पर तिल व ज्वार की फसल वादी द्वारा बोया जाना पाया गया तथा बतौर पुराना अतिक्रमण के दर्ज होना पाया गया। खसरा गिरदावरी संवत 2066 के अनुसार विवादित खसरा नंबर 799/2 रकबा 2 बीघा पर बाजरा की फसल वादी द्वारा बोया जाना पाया गया तथा बतौर अतिक्रमण के दर्ज होना पाया गया। तथा तहसीलदार मसूदा द्वारा धारा 91 आर0एल0आर0 का नोटिस खसरा नंबर 799/2 में पर बतौर अतिचार बाबत वादी को सन् 2010 में दिया जाना पाया गया। इसी प्रकार खसरा गिरदावरी संवत 2067 के अनुसार विवादित खसरा नंबर 799/2 रकबा 2 बीघा पर बाजरा व घास की फसल वादी द्वारा बोया जाना पाया गया तथा बतौर अतिक्रमण के दर्ज होना पाया गया। उक्त समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों एवं विवेचन के आधार पर वादी का उक्त भूमि पर लगातार कब्जा काश्त होना दर्शित होता है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी आंशिक रूप से वादी के हक में तय पाई जाती है।

(सुरेश चावला)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलेक्टर
मसूदा (अजमेर)

तनकी नंबर 3 इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था प्रतिवादी ने अपने जवाबदावे में कथन किया है, कि वादी का विवादित भूमि पर बतौर अतिक्रमण काबिज होना अंकित किया है, तथा तनकी नंबर 1 व 2 वादी के हक में आंशिक रूप से निर्णय की जा चुकी है, इसलिये उक्त तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध तय की जाती है।

......................लगातार

तनकी नंबर 4 अनुतोष उक्त विवेचन के आधार पर तनकी नंबर 1, 2 व 3 वादी के हक में आंशिक रूप से तय की जा चुकी है इसलिये वादी का वाद आंशिक रूप स्वीकार किया जाता है।

अतः वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है मौजा हरराजपुरा पटवार क्षैत्र हरराजपुरा तहसील मसूदा जिला–अजमेर में स्थित भूमि खसरा नंबर 799/2 रकबा 03–00–00 भूमि में वादी द्वारा कब्जा काश्त किये जाने से आवंटन एवं नियमन सलाहकार कमेटी के समक्ष प्रकरण रखे जाने की सिफारिश की जाती है। आवंटन एवं नियमन सलाहकार कमेटी नियमानुसार वादी को कब्जा काश्त की भूमि आवंटन एवं नियमन अधिनियम के अधीन आवंटन एवं नियमन सलाहकार कोरम (कमेटी) में नियमानुसार रखे जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 6/4/18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
(आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी मसूदा
मसूदा (अजमेर) राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.31 17:24:27 IST
Reason: SelfAttested
Location: